रा.मु.अ. 33 4-2000-10 लाख फा

APP
Cell

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

दौलतराम बनाम ग्राम पंचायत प्रतापपुरा

किस्म मुकदमा नामान्तकरण अपील नं० 01 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/01/26	प्रार्थी दौलतराम पुत्र मूलचंद जाति बैरवा निवासी प्रतापपुरा तह. बांदीकुई द्वारा जर्ये वकील श्री हंसराज जांगिड़ के प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण किये जाने नामांतकरण सं. 98 के स्थान पर 17 दिनांक 11.07.1998 का पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने आपके नाम शुद्धिकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी जिसमें प्रार्थी अपीलांट का नाम नामान्तकरण करते समय दौलतराम की जगह बद्रीप्रसाद दर्ज हो गया था जिसकी शुद्धिकरण के लिये अपील पेश की गयी थी जिसमें अपील पेश करते समय नामांतकरण सं. 17 के स्थान पर 98 अंकित हो गया था जो नामांतकरण में पहले डिग्री के अंको में भी जिससे अशुद्ध 98 अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी अपीलांट का नामांतकरण सं. 17 सही है और उक्त अपील में निर्णय भी 22.06.2022 को कर दिया गया और न्यायालय के यहां से अपील स्वीकार कर शुद्धिकरण हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर भी जारी कर दी गयी थी जब हल्का पटवारी ने पुनः नामांतकरण शुद्धिकरण के लिये नामांतकरण देखा तो उक्त अपीलांट का नामांतकरण सं. 17 पाया गया और अपील में नामांतकरण सं. 98 दर्ज हो गया जो गलत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रापत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 22/06/2022 व अपील सं. 14/2020 में नामांतकरण सं. 98 के स्थान पर नामांतकरण सं. 17 ग्राम पंचायत प्रतापपुरा दिनांक 11/07/1998 के शुद्धिकरण आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थी के हमनि प्रापत्र दर्ज रजिस्टर प्रापत्र पत्रावली हो। (हस्ताक्षर)	

दौलतराम पुत्र मूलचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी वकील की बहस सुनी। प्रा.पत्र व मूलपत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/06/2022 का अवलोकन किया। अपीलांटी द्वारा पत्रावली में नामांतकरण सं. 98 दर्ज कर पत्रावली पेश की थी तथा न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण को फैसल करते समय नामांतकरण सं 98 अंकित कर दिनांक 22/06/2022 को प्रकरण का निर्णय किया गया। जबकि पत्रावली में नामांतकरण संख्या 17 दिनांक 11.09.1998 संलग्न है। उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होता है अतः प्रा.पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करते, प्रा.पत्र मूलपत्रावली व उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22/06/2022 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के उनवानी प्रकरण सं. 14/2020 दौलतराम बनाम ग्रा.पं. प्रतापपुरा किस्म अपील नामांतकरण में निर्णय दिनांक 22/06/2022 में व अपील में नामांतकरण सं. 98 के स्थान पर नामांतकरण सं. 17 ग्राम पंचायत प्रतापपुरा दिनांक 11.09.1998 लालस्याही से दुरुस्त किया जावे। शेष उक्त निर्णय दिनांक 22/06/2022 में यथावत रहेगा। प्रकरण में पुनः संशोधित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार बांदीकुई को तरमीम जारी होकर प्रकरण बाद फैसल शुमार होकर हमराह मूलपत्रावली रहे। 30/1/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	